तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /1336/2009/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-12-2025	**एकलपीठ** **श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य** **उपस्थित :** श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अभिभाषक — **आदेश** 1— राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अपर जिला कलेक्टर अजमेर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 09—06—08 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। 2— रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार मसूदा ने धारा 82 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र अपर जिला के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम खीमपुरा तहसील मसूदा में स्थित हाल खसरा नंबर 997/2 रकबा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म बारानी 3 की भूमि जमाबन्दी संवत् 20508—61 के खाता नम्बर 131 में विपक्षीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है जबकि वाकै मौजा खीमपुरा की भूमि मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1951—52 के मुताबिक खाता नम्बर 303 साबिक खसरा नम्बर 928 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाला दर्ज थी जिसको बिना किसी आधार के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी में अंकित कर दी है जो बिल्कुल गलत है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में है। अतः अप्रार्थी के नाम दर्ज विवादित आराजी व तत्पश्चात राजस्व अभिलेख में किये गये इंद्राजात को निरस्त करने हेतु रेफेरेंस राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया जावे। अपर जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 09—06—2008 से राजस्व मण्डल को प्रेषित कर अभिशंषा की है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में किये गये इंद्राजात निरस्त कर उक्त भूमि पुनः राजकीय गैर मुमकिन नाला सिवायचक दर्ज करवाने के आदेश दिये जावें। 3— अप्रार्थी को जरिये पंजीकृत डाक सूचना पत्र प्रेषित करने उपरान्त वह मण्डल न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /1336/2009/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुआ।

4— विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपर जिला कलेक्टर के निर्णय में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के प्रावधानों के प्रभाव से वर्जित श्रेणी की भूमि है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अब्दुल रहमान के प्रकरण में इस प्रकार के आवंटनों को नियम विरुद्ध मानते हुये तालाब, नदी—नालों, व पानी के बहाव क्षेत्रों को मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश दिये हैं। अतः रेफेरेंस प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

5— उपराजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया और अपर जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के साथ निर्णय का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6— पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकोर्ड अनुसार ग्राम खीमपुरा तहसील मसूदा में स्थित हाल खसरा नंबर 997/2 रकबा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म बारानी 3 की भूमि जमाबन्दी संवत् 20508—61 के खाता नम्बर 131 में विपक्षीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है जबकि वाकै मौजा खीमपुरा की भूमि मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1951—52 के मुताबिक खाता नम्बर 303 साबिक खसरा नम्बर 928 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाला दर्ज थी जिसे बिना किसी आधार के वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या साबित है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होने से पहले गैर मुमकिन नाला अंकित थीं। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन नाला'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन या नियमन हेतु उपलब्ध है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं।

7— प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि किस्म के आधार पर उस श्रेणी की भूमि है जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी प्रकार का आवंटन/नियमन और खातेदारी अधिकार न तो प्रदत्त किये जा सकते है और न ही इस प्रकार के अधिकारों की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /1336/2009/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उत्पत्ति संभव है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस श्रेणी की भूमि के सबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डीबी सिविल रिट पिटिशन सं. 1536/2003 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में सम्पूर्ण विधिक एवं कानूनी स्थिति का परीक्षण व विवेचन कर अपने निर्णय दिनांक 2–8–04 में इस प्रकार की भूमि में निजी खातेदारी या स्वामित्व के अधिकारों का प्रदान किया जाना पूर्णत विधि विरूद्ध और गलत माना है। इन भूमियों के सबंध में राजस्व रिकोर्ड को वापस पूर्व स्थिति बहाल करने के आदेश प्रदत्त करते हुये सभी संबधितों से पालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत किये जाने के निर्णय/आदेश प्रदान किये हुये है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
>
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
>
> (ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

8– उपरोक्त विधिक प्रावधानों तथा प्रकरण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नदी/नला/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 1970 के उक्त नियमों के नियम 20 द्वारा नियम 4 में शामिल भूमियों को नियमन के लिये भी उपलब्ध नहीं माना है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन हेतु उपलब्ध है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः विवादित भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /1336/2009/अजमेर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बाबत् अप्रार्थी के नाम दर्ज गैर खातेदारी विधि विरुद्ध है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड़ जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के खाते में बिना किसी आधार के खातेदारी इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शुन्य एवं निरस्तनीय है। अतः हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण के नाम स्वीकृत नामान्तकरण/निजी खातेदारी को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है और वादग्रस्त भूमि को पूर्व अनुसार पुनः ''गैर मुमकिन नाला'' दर्ज करने व सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज समस्त अंकन को विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य